

पत्रांक-16/प्र0सु0-02-04/2013 का.- 11368
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एस0के0 शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 27 नवम्बर, 2013

विषय : "आधार" आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सम्बन्ध में।

महाशय,

झारखण्ड सरकार के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.01.2014 से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अधीन उभयकाल में दैनिक उपस्थिति दर्ज किये जाने को अनिवार्य किया गया है।

प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के लिए नोडल विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची एवं नेपाल हाउस सचिवालय के लिए नोडल विभाग योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को बनाया गया है।

आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु निम्न कार्य पूर्ण किये जाने जरूरी हो जाते हैं :-

- (क) आधार कार्ड आधारित आधार संख्या।
- (ख) आधार संख्या के आधार पर उपस्थिति हेतु पंजीयन संख्या। पंजीयन संख्या/आई0डी0 संख्या छः अंकों की होगी।
- (ग) पंजीयन संख्या/आई0डी0 संख्या का अंकन करते हुए बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज हो सकेगी।
- (घ) उपस्थिति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत् है :-
 - (i) सर्वप्रथम उपस्थिति के लिए छः अंकों की पंजीकरण संख्या अंकित की जायेगी।
 - (ii) 'Scan Finger' के विकल्प का चयन करते हुए उपस्थिति हेतु किसी भी एक Finger का प्रयोग किया जायेगा।
 - (iii) Authenticate विकल्प को दबाने से उपस्थिति दर्ज हो जायेगी।

आधार आधारित उपस्थिति के लिए आवश्यक है कि सभी कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए आधार कार्ड निर्गत हो। आधार कार्ड की आधार संख्या के आधार पर पंजीकरण संख्या हेतु नेपाल हाउस एवं प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के भूतल में

पंजीयण केन्द्र खोले गये हैं। बायोमैट्रिक मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को कहा गया है।

अतः अनुरोध है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सभी कर्मियों के लिए आधार कार्ड 10 दिसम्बर तक प्राप्त करते हुए आधार संख्या के आधार पर पंजीकरण संख्या प्राप्त कर लेना अनिवार्य किया जाय एवं तदनुरूप अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एस0के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-16/प्र0सु0-02-04/2013 का.-...../रांची, दिनांक नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रांची को इस आशय के साथ प्रेषित कि नेपाल हाउस सचिवालय के सभी विभागों के लिए उभयकाल (आगमन एवं प्रस्थान) में उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-16/प्र0सु0-02-04/2013 का.-.....11368...../रांची, दिनांक 29 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, रांची को इस विभाग के ज्ञापांक-1022 दिनांक 23.10.2013 के आलोक में प्रोजेक्ट भवन एवं नेपाल हाउस सचिवालय के लिए क्रमशः 15 एवं 14 बायोमैट्रिक मशीन उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

Li

सरकार के प्रधान सचिव।